Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 18-08-2006

Participants : Yadav Dr. Karan Singh

an>

Title : Need to provide L.P.G. and C.N.G. refilling centres in Alwar district of National Capital Region.

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, राट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग दो वा पूर्व प्रदूाण से बचाव हेतु छोटे यात्री वाहनों को एल.पी.जी. द्वारा चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत वाहन मालिक को सरकार द्वारा अधिकृत कंपनियों के एल.पी.जी. किट लगाकर समकक्ष परिवहन अधिकारी से वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पंजीकृत करवाने के पश्चात् एल.पी.जी. द्वारा वाहन चलाने की अनुमति मिल जाती है। इसके पश्चात् अनेक वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा स्वयं के नये वाहनों में इस प्रकार के एल.पी.जी. संचालित वाहनों का विक्रय करना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में एल.पी.जी. से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है। मेरे स्वयं के लोक सभा क्षेत्र अलवर में भी इस प्रकार के सैकड़ों वाहनों को पंजीकृत किया गया है परंतु इन वाहनों में एल.पी.जी रीफिलिंग हेतु संपूर्ण शहर में अभी तक एक भी एल. पी.जी. रीफिलिंग सैन्टर नहीं है। ऐसी अवस्था में वाहन चालक घरेलू गैस सिलेन्डरों को अपने वाहनों में गैस किटों में रीफिल करके अपने वाहन संचालित करते हैं। ऐसी अवस्था में न केवल घरेलू गैस सिलैन्डरों की किल्लत होती है बल्कि भारत सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय पैट्रोलियम मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अलवर जिले में, विशेाकर अलवर शहर में, वहां की औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में और राट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बहरोड़ में एल.पी.जी. रीफिलिंग पंप तथा सी.एन.जी. रीफिलिंग स्टेशन्स शीघ्र खुलवाने की व्यवस्था करें। अलवर जिला राट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अंग है और यहां भी वाहनों के वही नियम लागू होते हैं जो दिल्ली में हैं। इसलिए एल.पी.जी. और सी.एन.जी. के पंप शीघ्र आबंटित किये जाएं।